संख्या-396/2022/676रासनि/23-1-22/004-34आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 25 अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 26 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1826/CE-HQ-1/RSN3054/GON/2022-23, दिनांक 14.10.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 26 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 7,02,27,000 लाख (रूपये सात करोड दो लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 बहराइच	मझारा तौकली सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 से 3,6 व 7 में विशेष मरम्मत का कार्य।	283/2021/1048 रासनि/23-1-21-47 रासनि/20 टी0सी0	57.66	48.68	3.18	5.80	5.80
2	नि.ख.-1 बहराइच	धनराजपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में विशेष मरम्मत का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	50.38	5.04	0.22	45.12	45.12
3	नि.ख.-1 बहराइच	गंधू झाला सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 से 5 में विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	76.29	7.63	0.19	68.47	68.47
4	नि.ख.-1 बहराइच	हरिहरपुर से रतापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 से 3 में विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	51.00	5.10	9.42	36.48	36.48
5	प्रा.ख. बहराइच	बहराइच फैजाबाद आजमगढ़ मार्ग	63 /2020/681 रासनि/23-1-20-51 रासनि/20	300.9	285.86	2.65	12.39	12.39
6	प्रा.ख. बहराइच	एकघरवा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2(800) में विशेष मरम्मत का कार्य।	213/2020/966 रासनि/23-1-20-90 रासनि/20	42.78	34.22	0.92	7.64	7.64
7	प्रा.ख. बहराइच	गोकुलपुर प्रथम (वाया एलासपुर अगैया) सम्पर्क मार्ग के किमी 3, 4, 5, 6, 7 व 8 में विशेष मरम्मत का कार्य।	213/2020/966 रासनि/23-1-20-90 रासनि/20	82.68	78.55	0.05	4.08	4.08
8	प्रा.ख. बहराइच	नानपारा गढ़ीघाट मार्ग से इमामगंज वाया ककरहा बुधवा सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	22/2021/1293 रासनि /23-1-20-66 रासनि/20	97.07	77.66	5.33	14.08	14.08
9	प्रा.ख. बहराइच	मुसल्लमपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	58/2021/349 रासनि/23-1-21-72 रासनि/20	88.15	70.53	0.25	17.37	17.37
10	प्रा.ख. बहराइच	मिहीपुवा-गोपिया-पड़रिया मटेही कलां मार्ग (अ0जि0मा0-17) के किमी0-1(800) (मिहींपुरवा आबादी भाग) में सी0सी0 सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	105.87	10.59	18.87	76.41	34.06
11	प्रा.ख. बहराइच	चिकनिया सम्पर्क मार्ग के किमी-1 से 5(800) में विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	80.64	8.06	0.99	71.59	40.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	प्रा.ख. बहराइच	पड़रीतारा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	45.19	4.52	1.35	39.32	23.09
13	नि.ख. बलरामपुर	पी0बी0 मार्ग से नगवा नन्दौरी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	47.84	15.18	1.44	31.22	23.92
14	नि.ख. बलरामपुर	पी0बी0 मार्ग से घूघुलपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	16/2022/1320 रासनि/23-1-21-15 रासनि/21	52.6	5.26	0.11	47.23	34.08
15	नि.ख. बलरामपुर	रेहरा सादुल्लानगर मार्ग से असरफपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	53.5	17.35	0.12	36.03	36.03
16	नि.ख. बलरामपुर	रेहरा बाबागंज सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	95.28	30.14	3.29	61.85	61.85
17	नि.ख. बलरामपुर	गुमडी रेहरा-सादुल्लानगर मार्ग के आबादी भाग में सी.सी. सहित विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	88.54	28.22	2.21	58.11	58.11
18	प्रा.ख. बलरामपुर	हरैया नारायनपुर कौआपुर मार्ग	63 /2020/681 रासनि/23-1-20-51 रासनि/20	262.79	249.65	0.00	13.14	13.14
19	प्रा.ख. बलरामपुर	महाराजगंज ललिया मार्ग	63 /2020/681 रासनि/23-1-20-51 रासनि/20	222.98	211.83	0.00	11.15	11.15
20	प्रा.ख. बलरामपुर	कोड़री मथुरा चैधरीडीह मार्ग के किमी 4 से 6.13 से 16 एवं 19(50) में विशेष मरम्मत एवं आबादी भाग के किमी 18(400) व 21(500) में सी0सी0 रोड का कार्य।	205/2020 /985 रासनि/23-1-20-43 रासनि/20	213.39	202.72	0.45	10.22	10.22
21	प्रा.ख. बलरामपुर	उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	188.02	112.81	0.46	74.75	74.75
22	नि.ख.-1 गोण्डा	सर्किट हाउस से विकास भवन जिला कारागार गोण्डा कचेहरी रेलवे स्टेशन महादेवा क्रासिंग सिटी मा0 स्कूल होते हुए गोण्डा बहराइच सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	148.66	133.57	0.45	14.64	14.64
23	नि.ख.-1 गोण्डा	महादेवा सिसिवरिया मार्ग से बरूआ से किनकी नौबस्ता के बगल गौरवा कानूनगो होते हुए मोतीगंज इण्टर कालेज तक सम्पर्क मार्ग क विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	147.5	132.52	0.45	14.53	14.53
24	नि.ख.-1 गोण्डा	गोण्डा लखनऊ मार्ग से भदुआतरहर होते हुए तिलका चंदवतपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	79.83	71.48	0.73	7.62	7.62
25	नि.ख.-1 गोण्डा	कपूरपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	64.34	57.75	0.39	6.20	6.20
26	नि.ख.-2 गोण्डा	तिलका चन्दवतपुर मार्ग के किमी-2 से तिलका पाण्डेय पुरवा शेरापार होते हुए श्रीजोत सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	68.18	40.91	0.14	27.13	27.13
							कुल योग	702.27

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय 7,02,27,000 लाख (रूपये सात करोड दो लाख सत्ताईस हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 3054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 26-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-396/2022/676रासनि(1)/23-1-22/004-34आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in